संख्या: 01/2018/1285/35-1-2017-6/8(6)/2016

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 02 जनवरी,2018*

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अनुपूरक अनुदान की वित्तीय स्वीकृतियॉं निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-कैम्प-17/6-4/सा0प्र/2016, दिनांक 27.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 18/2017/360/35-1-17-6/8(6)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)'' के मद संख्या-09-विद्युत देय के अन्तर्गत रू0 25-.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त लेखाशीर्षक के ''09-विद्युत देय'' की मद में **रू0 67.00 लाख (रूपये सरसठ लाख मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययो को वहन करने हेतु राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. शासनादेश संख्याः 18 /2017/360/35-1-17-6/8(6)/2016 दिनांक 25 अगस्त, 2017 में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक-''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)'' के मद संख्या-''09-विद्युत देय'' के नामे डाला जायेगा। .

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>सख्या- 01/2017/1285(1)/35-1-2017-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।